

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

संयुक्त माध्यमिक शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) रसायन विज्ञान का स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल

क्रम सं. के क्रम में किया जाएगा :-

क्र.सं.	कार्यमुक्त श्री/श्रीमती/श्रीमती	कहाँ से राजभाषा/राजस्थानी	जिला	कहाँ को राजभाषा/राजस्थानी	जिला
1	SMT.ANJU BALA	GOVT. SR:SEC.SCH., KANVAT, SIKAR TO GOVT SR SEC SCH PACHKODIYA JAIPUR UNDER TRANSFER	JAIPUR	GOVT SEN. SECONDRY SCHOOL NAYAN, SHAHPURA	JAIPUR
2	SUBHASH KUMAR SHANKHALA	GOVT GIRLS SEN.SEC SCH KOTPUTLI, JAIPUR TO GOVT. SR. SEC. SCHOOL BORAJ, JAIPUR UNDER TRANSFER	JAIPUR	GOVT SEN SEC SCH BHOJPURA KALA, SHAMBHAR LAKE, JAIPUR	JAIPUR
3	MEGHA MADANAVAT	GOVT. SR. SEC. SCHOOL, BANASTHALI, BANASTHALI, TONK TO GOVT. SR. SEC. SCH. PACHEWAR, MALPURA UNDER TRANSFER	TONK	GSSS SHERSINGH RAJWAS	DAUSA
4	Ram Avtar Sharma	UNDER TRANSFER FROM GSSS MURLIPURA SCHEME JAIPUR TO GOVT GIRLS SEN.SEC. SCHOOL MALVIYA NAGAR. JAIPUR EAST	JAIPUR	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL, MANSAROVAR, WARD NO.41 JAIPUR CITY, JAIPUR NN PART2	JAIPUR
5	RAVI CHOUHAN	GSSS BHALTA	JHARWAR	GOVT. SR. SEC.SCH, CITY NO 12	TONK
6	KISHAN LAL KUMHAR	GOVT. SR. SEC.SCH. CITY NO 12 TONK.	TONK	G. HR. SEC. SCHOOL NYARA, PESANGAN	AJMER

उक्त कार्मिक मधील पदस्थापन स्थान पर तत्काल प्रभाव से आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेंगे। क्रम संख्या 04 एवं 08 पर अंकित कार्मिकों को नियमानुसार बांगकाल एवं यात्रा भत्ता देब होगा। जिन कार्मिकों का परीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है, उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। RURES कार्मिकों को नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/राष्ट्रीय पदस्थापन स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। लम्बे समय से अनुपस्थित/निलम्बित/कोर्ट स्थगन कार्मिकों को उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं निदेशालय को सूचित कर आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के बाद ही नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावे। एम.एड. योग्यताधारी कार्मिकों को ही डाईट में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावे। पद विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत होने की स्थिति में व्याख्याता को कार्यग्रहण करवाकर वरिष्ठ अध्यापक को संबन्धित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा कार्यालय में आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यमुक्त करें। सम्बन्धित कार्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शालादर्पण के माध्यम से ही की जावे।

(W 30)

(मधुमल डिबेल)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिक्षा-माध्य/संख्या/सी-4/एजीगू/रसायन विज्ञान/स्थानान्तरण/2019-20 दिनांक-

29/09/19

प्रतिलिपि-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रा.मा.शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर
- 2 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 3 शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 4 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक

सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सम्बन्धित कार्मिकों के नियमानुसार कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति की कार्यवाही तीन दिवस के भीतर सम्पादित करवाकर निदेशालय को प्रगति दें।

सम्बन्धित शाला/संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करावे। सम्बन्धित

6 कार्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यकरूप से शालादर्पण के माध्यम से ही की जावे।

7 अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग कार्यालय हाजा को उक्तानुसार कार्मिक के कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति की प्रभावी मोनिटरिंग करें।

8 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अद्यतन करने हेतु

9 सम्बन्धित कार्मिक

10 रक्षित पत्रावली

(संयुक्त निदेशक(कार्मिक))

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर